REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	337]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018⁄भाद्र 15, 1940
No.	337]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2018

मि. सं. 2–4/2018 (डी.ई.बी–I).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम् 1956 (1956 का 3) की धारा 12 के खंड (ञ) के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

- (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) तृतीय संशोधन विनियम, 2018 कहा जाएगा।
 - (2) ये विनियम, शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 में (इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा),—विनियम 3 के उप—विनियम (1) के खंड (viii) में निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"(viii) उच्चतर शिक्षा संस्थान ने, अपने अस्तित्व में आने के पांच वर्ष पूरे कर लिए हों।

बशर्तें कि, उच्चतर शिक्षा संस्थान, इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें अकादमिक सत्र जुलाई, 2019 से जून 2020 के समापन से पूर्व राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के 4 बिन्दु पैमाने पर 3.26 अंक प्राप्त करेगा, ऐसा न करने पर, आयोग, उन उच्च शिक्षा संस्थानों के मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पादयक्रमों को किसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा :

बशर्तें आगे कि, यह खण्ड उन मुक्त विश्वविद्यालयों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक वे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) से प्रत्यायन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं हो जाते और मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रत्यात्यन हेतु पात्र हो जाने के एक वर्ष के भीतर नैक प्रत्यायन प्राप्त करें: बशर्तें आगे कि, केन्द्र सरकार द्वारा मानित विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मानित विश्वविद्यालय विनियमों एवं अन्य संबद्ध विनियमों के अनुसार तथा ऑफ कैम्पस केन्द्रों या अध्ययन केन्द्रों या दोनों, जो भी लागू हों; के विधिवत् निरीक्षण के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर ही मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की पेशकश करेंगे।"

वि. अ. आ. (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 के अनुलग्नक x के अनुच्छेद 6 को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

"6. अध्ययन या शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों पर मानव शक्ति एवं अन्य बल का अभिनियोजन

अध्ययन केन्द्रों या शिक्षार्थी सहायता केन्द्रों को एक समन्वयक द्वारा संचालित किया जाएगा। जिसकी श्रेणी किसी सहायक प्राध्यापक से कमतर न हो तथा उनका संवर्धन, अकादमिक एवं गैर अकादमिक स्टाफ के साथ, शिक्षार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगा तथा उन्हें शिक्षार्थियों की पर्याप्त सहायता के लिए नियुक्त किया जाएगा। शिक्षा सहायक केन्द्रों / अध्ययन केन्द्रों तथा मुख्य परिसर में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पाट्यक्रम में प्रवेश लेने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्रति पाट्यक्रम प्रवेश की क्षमता संबधित क्षेत्रों में उपलब्ध योग्य संकाय, उपकरण युक्त प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ऑन–लाइन कनेक्टिविटी (संपर्क) तथा सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी सुविधाओं तथा अवसंरचना के साथ–साथ निम्नलिखित के समानुपातिक होगाः

- i. योग्य परामर्शक की संख्या, छात्रों की कुल संख्या के अनुपात में 1:100 प्रति सैद्धांतिक पाठ्यक्रम होगी।
- ii. योग्य पर्यवेक्षकों की संख्या, क्रेडिट 2 के अनुपात में 1 या अधिक प्रति प्रायोगिक पाठ्यक्रम होगी।
- iii. प्रयोगशाला की उपलब्धताः एक मान्यताप्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान जो कम से कम 3 वर्षों से परंपरागत माध्यम में समान पाठ्यक्रम चला रहा हो, में एक प्रयोगशाला होगी।"

रजनीश जैन, सचिव, (वि.अ.आ.)

[विज्ञापन—III / 4 / असा. / 214 / 18]

नोट : मूल विनियम, मि. सं. 2−4 / 2015 (डी.ई.बी–III) के माध्यम से दिनांक 23 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–III, धारा ए में प्रकाशित हुए थे तथा मि. सं. 2−4 / 2015 (डी.ई.बी–III), दिनांक 6 फरवरी, 2018 को अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2018

F. No. 2-4/2018 (DEB-I).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations further to amend the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 namely:—

- 1. (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Third Amendment Regulations, 2018.
 - (2) These shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, in sub-regulation (1), for clause (viii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(viii) The Higher Educational Institution has completed five years of existence:

Provided that the Higher Educational Institutions shall submit an undertaking to the effect that it will attain a National Assessment and Accreditation Council (NAAC) score of 3.26 on a 4-point

scale before the end of academic session July 2019-June 2020, failing which, the Commission shall not accord any approval to the Open and Distance Learning Programmes of the Higher Educational Institutions:

Provided further, that this clause shall not be applicable to Open Universities till the time they become eligible for NAAC accreditation and it shall be mandatory for Open Universities to get NAAC accreditation within one year of their becoming eligible for the same:

Provided further, that an institution Deemed to be a University so declared by the Central Government shall offer the Open and Distance Learning courses or programmes as per the extant Deemed to be a University Regulations and other relevant Regulations notified by the University Grants Commission from time to time and after due inspection of the off-campus centres or study centres or both as applicable, are found adequate".

3. In the said regulations, in Annexure X, for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"6. Deployment of manpower and other support at Study or Learner Support Centres

The Study Centres or Learner Support Centres shall be headed by a Coordinator, not below the rank of an Assistant Professor and shall be augmented with academic and non-academic staff depending on the number of learner, assigned for adequate support to the learners. There shall not be any restrictions in the capacity of intake in Open and Distance Learning programme at the Learning Support Centre or Study Centre and Main campus. The capacity of intake per programme should be commensurate with the available qualified faculty in relevant area, well equipped laboratory, library, online connectivity and Information and Communication Technology facilities, and appropriate infrastructure, along with the following:

- (i) Number of qualified counselor to number of students shall be 1:100 per theory course;
- (ii) Number of qualified supervisors per practical course of 2 credits: 1 or more;
- (iii) Availability of laboratory: The laboratory should be in a recognised Higher Educational Institution running a similar course in conventional mode for a period of not less than 3 years".

RAJNISH JAIN, Secy. (UGC)

[ADVT.-III/4/Exty./214/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-III, Section 4, dated the 23rd June, 2017 *vide* F. No. 2-4/2015 (DEB-III) and last amended *vide* F. No. 2-4/2015 (DEB-III) dated the 6th February, 2018.